राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बरः–0141–2744861 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांकः– एफ.4(ई)/2013/ अलेसे–III/4802 दिनांक :–04/12/2019

आदेश

प्रायः यह देखा गया हैं कि कनिष्ठ लेखाकार बैच–2013 के अनेक अभ्यर्थी कार्यालय समय में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना कार्यालय समय में निदेशालय में घूमते रहते हैं, जिससे उनके कार्यालय का कार्य तो बाधित होता ही हैं साथ ही निदेशालय के कार्य में भी अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता हैं।

अतः समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय छोडने की इजाजत प्राप्त किये बगैर निदेशालय में अनावश्यक रूप से कार्यालय के कार्य को प्रभावित नहीं करे। यदि कोई कार्मिक अनाधिकृत रूप से निदेशालय में घूमता पाया जावेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। कृपया सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक